कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी - फरीदाबाद

आदेश क्रमांक : ले - 1 /99 / 896-97 दिनांक : 10-06-99

जी०डी० एस०कान्वेन्ट स्कूल ऑंखरी फरीदाबाद

को पहली से पाँचवी तक शिक्षा कोड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विभाग तक तुरन्त प्रभाव से निम्न शर्तों पर स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और सरकार से किसी पद या ग्रान्ट की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय विभाग / सरकार / बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी की गई हिदायतों एवं शर्तें तथा एजुकेशन कोर्ड की धारा 214 के तहत सभी नियमों एवं शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।
3. विद्यालय स्टाफ का वेतन समय-समय पर संशोधन होने पर नियम अनुसार संशोधित राशि जिला प्राथमिक शिक्षा, अधिकारी, फरीदाबाद के नाम से छः मास के वेतन के बराबर राशि पलैज करवाने को बाध्य होगा।
4. भावी नियुक्तियां/ विभाग/ द्वारा जारी नियमानुसार की जाये।
5. स्टाफ की जी पी०एफ० / सी०पी०एफ सरकार के नियमानुसार चालू किया जाये।
6. फन्डो के शेयर नियम अनुसार इस कार्यालय में भेजे जाये।
7. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय रिकार्ड एवं शैक्षिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है।
8. अनुभवी अध्यापक लगाये जाये।

Sd/-
(लालबाको)
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद (हरियाणा)

पृ0 क्रमांक : सम० :

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी --- फरीदाबाद
3. सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया
4. अनुभाग अधिकारी स्थानीय

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
Faridabad
फरीदाबाद (हरियाणा)
10/6

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक जी-1/01/ 971-74 दिनांक 31-03-2001

विषय : माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

जी0बी0एल0 कान्वेन्ट स्कूल भांकरी फरीदाबाद की 1-4-2000 से छठी से आठवी कक्षा (मिडिल विभाग) तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नही करेगी तथा अपने ही खर्चे पर स्कूल चलायेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।
3. विद्यालय मे कार्यरत अध्यापकों के छ: मास के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लज्ड करायेंगे । यदि राशि प्लज्ड ना कराई तो मान्यता रदद की जायेगी ।
4. वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सी0 पी0 एफ0 की राशि स्थानिय बैंक में जमा कराई जाये ।
6. संस्था को धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी एजूकेशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रदद कर दी जायेगी ।
7. सी0 डब्लयू0 एफ0 रेडक्रास तथा स्पोर्टस फन्ड की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है ।
9. एजूकेशन कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भवन इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना होगा ।

(लालबांका)
जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद ।

पृष्ठ क्रमांक : सम दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद/पलवल ।

सम्बंधित विद्यालय का मुखिया ।

बी0 एस0 ई0 भिवानी ।

Distt. Education Officer, Faridabad

जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद ।